<u>कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद</u>

संख्याः**25742**/दस–लाइसेंस–367/खण्ड–3/सुझाव आबकारी नीति/ 2009 – 10 / दिनांक : इलाहाबादःफरवरी 12 , 2009

<u>विज्ञप्ति</u>

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि नवसृजित विशिष्ट /विस्तारित मेरठ जोन (मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद व बरेली प्रभार) की देशी शराब, विदेशी मदिरा व बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों एवं मॉडल शाप्स का व्यवस्थापन उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों के एकान्तिक विशेषाधिकार के लिये विशिष्ट जोनों का सीमांकन व विनियमन नियमावली, 2009'' के प्राविधानानुसार किया जाना है। शासन के निर्देशानुसार विशिष्ट जोन की मदिरा की उक्त प्रकार की दुकानों, जिनमें निहित राजस्व रू0 1500 करोड़ है, का वर्ष 2009–10 हेतु संचालन उत्तर प्रदेश राज्य की किसी शीर्ष सहकारी संस्था/निगम द्वारा किया जाएगा। मदिरा की उक्त दुकानों के अनुज्ञापनों की अवधि एक आबकारी वर्ष (2009–10) अथवा उसके भाग, जिसके लिये अनुज्ञापन स्वीकृत किया गया है, होगी। परन्तु यदि अनुज्ञापी चाहे तो वह आगामी वर्ष 2010–11 या उसके भाग के लिये लाइसेन्स का नवीनीकरण/विस्तारण ऐसे निबन्धन और शर्तों पर करा सकता है, जो यथासमय राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित् किये जायें।

आवेदक हेतु निम्नलिखित अर्हतायें होंगीः–

(1) उत्तर प्रदेश राज्य की शीर्ष सहकारी संस्थायें/निगम। शीर्ष सहकारी संस्था का तात्पर्य ऐसी सहकारी समिति से है, जिसमें राज्य सरकार कम से कम 51 प्रतिशत शेयर धारक को, और इसमें संस्था के साथ कोई संयुक्त उद्यमी पार्टनरशिप भी सम्मिलत हो सकती है। निगम का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य के निगमित ऐसे निकाय से है, जो कम्पनी ऐक्ट, 1956 की धारा–12 के अन्तर्गत निगमित हो। इसमें शीर्ष सहकारी संस्था/ निगम के साथ कोई संयुक्त उद्यमी पार्टनर भी सम्मिलित हो सकता है।

(2) ऐसी शीर्ष सहकारी संस्था/निगम को अनुज्ञापी के रूप में मदिरा की फुटकर बिक्री का अनुभव के प्रमाण के रूप में आबकारी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र/अनुज्ञापन/आदेश की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

(3) ऐसी शीर्ष सहकारी संस्था/निगम आबकारी देयों की बकायेदार व लाइसेन्स धारण करने हेतु अन्यथा अनुपयुक्त नहीं होनीं चाहिए। बकायेदार व लाइसेन्सधारण हेतु अन्यथा अनुपयुक्त न होने के सम्बन्ध में आवेदक को विभाग द्वारा प्रदत्त बिन्दुओं पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(4) आवेदनपत्र के साथ विशिष्ट जोन/विस्तारित मेरठ जोन के सभी जनपदों की देशी शराब, विदेशी मदिरा व बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों व माडल शाप्स की निर्धारित धरोहर धनराशि (देशी शराब के प्रकरण में बेसिक लाइसेंस फीस, विदेशी मदिरा एवं बीयर के प्रकरण में लाइसेंस फीस के 1/10 भाग के बराबर होगी) का आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पक्ष में किसी अनुसूचित बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना होगा। धरोहर धनराशि निर्धारित अवधि में समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कर दुकानों का अनुज्ञापन प्राप्त कर लेने पर वापसी योग्य होगी, अन्यथा राज्य सरकार के पक्ष में समपहृत की जा सकेगी।

(5) आवेदक ज्वाइन्ट वेन्चर भागीदारी में भी आवेदन प्रस्तुत कर सकता है, परन्तु ऐसे ज्वाइन्ट वेन्चर भागीदार का चयन आबकारी राजस्व की सुरक्षा के दृष्टिगत पूर्ण पारदर्शी प्रक्रिया से किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ऐसे भागीदार पर आबकारी देयों की वसूली हेतु विधिक व्यवस्था हो।

(6) प्राप्त आवेदनपत्रों का आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा युक्ति–युक्त परीक्षण कर अर्ह आवेदक/आवेदकों का चिन्हांकन किया जाएगा। एक से अधिक अर्ह आवेदक चिन्हित होने की दशा में सफल आवेदक का चयन लाटरी से किया जाएगा, परन्तु एक ही अर्ह आवेदक पाये जाने की दशा में ऐसे अर्ह आवेदक को अनुज्ञापन हेतु चयनित किया जाएगा।

(7) आवेदनपत्र शीर्ष सहकारी संस्था/निगम के सक्षम प्राधिकारी/अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, 171, पुराना ममफोर्डगंज, आबकारी भवन, इलाहाबाद में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया जाएगा।

(8) आवेदनपत्र के लिफाफे पर ''विशिष्ट/विस्तारित मेरठ जोन के जनपदों की देशी शराब, विदेशी मदिरा व बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों तथा माडल शाप्स के संचालन हेतु आवेदन'' अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।

(9) आवेदनपत्र का प्रारुप निम्नवत् हैः–

(क) आवेदक इकाई का नाम व
पंजीकृत कार्यालय का पता
व दूरभाष नम्बर।

(ख) आवेदक इकाई से पत्रचार हेतु
पता व दूरभाष नम्बर।

(ग) शीर्ष सहकारी संस्था/निगम
के मुख्य कार्यपालक अधिकारी
का नाम, पता व दूरभाष नम्बर।

(घ) शीर्ष सहकारी संस्था/निगम
के पंजीकृत होने का विवरण–

(i) पंजीयन संख्या...

(ii) पंजीयन दिनांक...

(iii) पंजीयन करने वाले प्राधिकारी,

कार्यालय का नाम व पता..

..

....

....   (पंजीयन प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न की जाए)

(ङ) मदिरा की फुटकर विक्रय

के अनुभव सम्बन्धी विवरणः—

(आबकारी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत

प्रमाणपत्र/ अनुज्ञापन/आदेश की प्रति संलग्न की जाए।)

(च) शपथ—पत्र का विवरण—

(i) शपथपत्र का दिनांक...................................(शपथपत्र की प्रति संलग्न की जाए)

(ii) प्रमाणित करने वाले अधिवक्ता का नाम ....

(iii) प्रमाणित करने वाले अधिवक्ता का पंजीकरण सं0 ....

(छ) दुकानों हेतु संलग्न बैंक ड्राफ्ट का विवरण—

(i) बैंक ड्राफ्ट संख्या— ....

(ii) धनराशि...

(iii) दिनांक..

(iv) जारी करने वाले बैंक का नाम व ब्रांच का विवरण....................................

(झ) संलग्नकों का विवरण—

शीर्ष सहकारी संस्था के मुख्य कार्यपालक

अधिकारी का नाम, पदनाम सहित,

(हस्ताक्षर सतिथि व मोहर)

नोटः— यदि कोई संयुक्त सह उद्यमी भागीदार है तो उसके संबंध में भी (क)—(ङ) तक के विवरण भी संलग्न किये जाये।

ह0 / अपठनीय

(सुधीर एम0 बोबडे)

आबकारी आयुक्त,

उत्तर प्रदेश।